SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I have said that whenever we have to decide a particular issue or have to take a particular attitude on a particular question this forms our background information and it helps us to arrive at right conclusions in questions which we are supposed to decide.

As far as the question of making practical arrangements for protection is concerned, the hon. House knows that people belonging to the Scheduled Castes are spread all over the country in various villages and to set up a parallel police specially for this purpose under the Central Government is an impractical thing. We all wish that it should be done in a practical and effective manner. I am also sure that the State administrations try to do it. There have been difficulties and deficiencies. That is obvious. The Home Minister, as I stated earlier, has stressed upon the Chief Ministers that the entire weight of the administration must be put for giving protection to these weaker sections of our society and that they should do their best to promote their interest. We keep on doing that from time to time.

श्री शिव नारायण : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई सवालात किए गए हैं । विम्मा रेड्डी के केस का मैं ने इस हाउस में रेज किया था । यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है और सौभाग्य से इस समय इस सदन में हमारे प्रधान मंत्री, उपप्रधान मंत्री और गृह-मंत्री, तीनों ही उपस्थित हैं । हम स्वयं भुक्तभोगी हैं । आज मेरे घर में पुलिस बैठी हुई है । मेरे यहां ही चोरी हुई है और मुझे ही पुलिस को खिलाना पड़ रहा है । मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा, सबको लिखा लेकिन कोई सुनवाई होने वाली नहीं है और न पुलिस पता लगा सकती है कि क्रिमिनल कौन है । कोई भी पुरसां-हाल नहीं है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार हमारी प्रोटेक्शन का इन्तजाम नहीं कर सकती है तो फिर हमको अन्डमान या किसी दूसरे टापू में भेज दिया जाए या फिर सरकार पूरी जिम्मेदारी ले और हमारी सुरक्षा की व्यवस्था करे । यह बड़े दुख का विषय है कि हम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते हैं । तुलसीदास जी ने जो चौपाई लिखी है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, उसी का गली गली में प्रचार हो रहा है, रेलवे में प्रचार हो रहा है और सर्विसेज में हमारे मिनिस्टर्स और हमारे नेताओं को गालियां दी जा रही हैं । इस देश में आज ये सब चीजें हो रही हैं । सरकार का काम है कि इन सब चीजों को देखे, और हम तो जो रीयल फैक्ट्स हैं वहीं बता रहे हैं । अगर उसपर एक्शन नहीं लिया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उसको जाने ।

यह एक बहुत गम्भीर समस्या है । मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी इस मामले में पोलिटिकल गेम खेला जा रहा है । बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में जो हरिजनों के लड़के पढ़ने को आते हैं उनका अनादर व उपहास किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि चमार, भंगी लोगों के लड़के आने से विश्वविद्यालय अपवित्र हो रहा है । जब ऐसी हालत वहां पर मौजूद है तो हमारा विश्वविद्यालय अलग कर दिया जाय ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Madhu Limaye, you have made a suggestion regarding reference to a specific matter. I will consider it. Now, Papers to be laid.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये निदेश का लागू करना

*727. **श्री जी० ब० सिंह :**
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री शारदानन्द :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत चार महीनों में कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकारों द्वारा जारी किये गये आदेशों तथा निदेशों को पूर्णतया लागू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं तथा उन्होंने किन-किन मामलों में केन्द्रीय सरकार के आदेशों का उल्लंघन किया है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या इन निदेशों के बारे में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से विचार विमर्श किया था ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग). केरल के अलावा अन्य राज्य सरकारों ने सूचना दी है कि पिछले चार महीनों में ऐसा उदाहरण नहीं है जहां केन्द्रीय सरकार के किन्हीं निदेशों का पालन न किया गया हो। जहां तक केरल का सम्बन्ध है 18 सितम्बर, 1968 को राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को एक पत्र में कर्मचारियों को हड़ताल के लिये उकसाने और/अथवा हिंसा के लिये उत्तेजित करने तथा उन कर्मचारियों को, जो 19 सितम्बर, 1968 को काम पर जाना चाहते थे, डराने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाने तथा गिरफ्तारी समेत उपर्युक्त कार्यवाही करने के लिये जिला प्राधिकारियों को अनुदेश जारी करने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी। उस पर 19 सितम्बर को केरल सरकार का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 256 के उपबन्धों की ओर आकर्षित किया गया जिनके अन्तर्गत राज्य सरकारों पर एक दायित्व डाला गया है कि उनकी कार्यकारी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जायगा जिससे संसद् द्वारा बनाये गये नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। आगे यह भी बतलाया गया कि कर्मचारियों को हड़ताल के लिए उकसाने या उत्तेजित करने से सम्बन्धित अनिवार्य सेवाएं अनुरक्षण अध्यादेश, 1968 के उपबन्ध ऐसे एक नियम के भाग हैं। इस पर राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सूचित किया कि संविधान के अनुच्छेद 256 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक तथा उपयुक्त कार्यवाहियां की जा रही हैं।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने अनिवार्य सेवाएं अनुरक्षण अध्यादेश, 1968 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करने का सुझाव देने से पूर्व राज्य सरकार से परामर्श नहीं किया था।

मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

*728 **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र के उन वर्तमान तथा भूत-पूर्व मंत्रियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध गत दो वर्षों में जांच की गई है अथवा की जा रही है ;

(ख) उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन-किन मंत्रियों के विरुद्ध जांच पूरी कर ली गई है तथा उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(घ) सरकार द्वारा जांच प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) कुछ नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

शैक्षणिक संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

*729. **श्री हुकम चन्द कछवाय**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ के आह्वान पर केन्द्रीय सरकार की शैक्षणिक संस्थाओं के कितने कर्मचारियों ने 19 सितम्बर, 1968 को हुई एक दिन की सांकेतिक हड़ताल में भाग लिया ;

(ख) उनके मंत्रालय तथा विभाग में उक्त हड़ताल में भाग लेने वाले कितने कर्मचारियों को निलम्बित किया गया तथा कितने